न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट विराटनगर, **कैम्प दिनांक 29.06.2018**

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 73/2015 दायर तारीख : 14.07.2015

1. सुरजाराम } पुत्रान सीताराम जाति अहीर निवासी ढाणी गैसकान
2. रामचन्द्र } तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

—— वादीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र भगवाना जाति अहीर निवासी ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
3. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर।

3. क– कमला देवी पत्नी रामजीलाल जाति अहीर निवासी ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर

—— प्रतिवादीगण

4. देबूराम
5. मूलचन्द } पुत्रान सीताराम } जाति अहीर निवासी ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर
6. बिरदूराम
7. हनुमान
8. धुडी पुत्री सीताराम

—— तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री गोपाल टांक, अधिवक्ता वादीगण
श्री मदनलाल जाट, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय

निर्णय दिनांक 29.06.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ढाणी गैसकान हाल आराजी खसरा नम्बर 702/0.01, 703/0.35, 704/0.03, 705/0.26, 706/0.39, 721/0.24, 722/0.30, 723/0.22 हैक्टेयर किता 8 कुल रकबा 1.80 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण तथा हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उभय पक्षकारान ने आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा

सत्यमेव जयते Web Copy, Not Official

आपसी मनबट के हिसाब से खसरा नम्बर 704, 705, 706, 721 वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त मे है, जिसमें खसरा नम्बर 704 में मकान भी बने हुए है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 702, 703, 722, 723 प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त में है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में दखल देना शुरू कर दिया है, जिससे शामिल में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि कि ग्राम ढाणी गैसकान हाल आराजी खसरा नम्बर 702/0.01, 703/0.35, 704/0.03, 705/0.26, 706/0.39, 721/0.24, 722/0.30, 723/0.22 हैक्टेयर किता 8 कुल रकबा 1.80 हैक्टेयर का उभय पक्षकारान के मध्य कानूनी बंटवारा कर दिया जावे तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में बेजा दखल नहीं करें।

2. वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 172 संवत् 2069–2072, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये।
3. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर, प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब दावा पेश किया। पैरोकार सरकार उपस्थित रहे।
4. प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब रहा कि मिन उत्तरदाता ने आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 706/0.39, 723/0.22 हैक्टेयर में अपने हिस्सा 1/2 हिस्से की भूमि मे से क्रमशः रकबा 0.11–0.11 हैक्टेयर भूमि पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर कमला देवी को वाद दायरी से पूर्व दिनांक 10.07.2015 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कर कब्जा क्रेता को संभला दिया है। आपसी मनबट के हिसाब से वादीगण के हिस्से में खसरा नम्बर 702 रकबा 0.01, 704 रकबा 0.03, 705 रकबा 0.26, 721 रकबा 0.24, 722 रकबा 0.30 हैक्टेयर किता 9 कुल रकबा 0.84 हैक्टेयर आया है, जिस पर वादीगण काबिज काश्त है। तथा मिन उत्तरदाता के बंटवारे में खसरा नम्बर 703/0.35, 706/0.39, 723/0.22 हैक्टेयर किता 3 रकबा 0.96 हैक्टेयर भूमि हिस्से में आयी है। अतः उक्त बाहमी बंटवारा अनुसार बंटवारा किया जाता है, तो मिन उत्तरदाता को कोई आपत्ति नहीं है।
5. अधिवक्ता उभय पक्षकारान के निवेदन पर प्रकरण दिनांक 19.07.2016 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने हेतु तहसीलदार विराटनगर को तहरीर जारी की गई।

6. तहसीलदार विराटनगर की कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 11.05.2018 प्राप्त हुई।
7. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ढाणी गैसकान में मजमा–ए–आम राजीनामा से प्रकरण का निस्तारण कराने हेतु पेश हुई। उपस्थित उभय पक्षकारान ने राजीनामा पेश कर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।
8. प्रकरण बहस कुर्रेजात रिपोर्ट नियत होकर राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट विराटनगर में पेश हुई।
9. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों, का अवलोकन किया गया। वस्तुतः ग्राम ढाणी गैसकान हाल आराजी खसरा नम्बर 702/0.01, 703/0.35, 704/0.03, 705/0.26, 706/0.39, 721/0.24, 722/0.30, 723/0.22 हैक्टेयर किता 8 कुल रकबा 1.80 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण तथा हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद दायरी से पूर्व ही आराजी मुतनाजा में अपने हिस्सा 1/2 मे से क्रमशः रकबा 0.11–0.11 हैक्टेयर भूमि पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर कमला देवी को वाद दायरी से पूर्व दिनांक 10.07.2015 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कर कब्जा क्रेता को संभला दिया है। उभय पक्षकारान के मध्य कानूनी बंटवारा किये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विवाद नहीं है तथा प्रकरण के कानूनी बंटवारा से संबंधित होने पर प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 अनुरूप कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई है। सहखातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का बंटवारा का हक अधिकार है, जिसके संबंध में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ढाणी गैसकान में पक्षकारान ने सहमति प्रकट की है। अतः राजस्व लोक अदालत की मंशा अनुरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व राजीनामा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर ग्राम ढाणी गैसकान की खातेदारी भूमि का पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	रामेश्वर पुत्र भगवाना जाति अहीर	702/0.01, 703/0.35, 706/1/0.17, 722/0.15 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 0.68 हैक्टेयर
2	कमला देवी पत्नी रामजीलाल यादव जाति अहीर	723/0.22 हैक्टेयर
3	सुरजाराम, रामचन्द्र, देबुराम, मुलचन्द, बिरदुराम, हनुमान पिता सीताराम, धूडी पुत्री सीताराम जाति अहीर	704/0.03, 705/0.26, 706/0.22, 721/0.24, 722/1/0.15 हैक्टेयर किता 5 कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें तथा यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी को बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 29.06.2018 को कैम्प कोर्ट विराटनगर में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट विराटनगर **दिनांक 29.06.2018**

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. सुरजाराम
2. रामचन्द्र

पुत्रान सीताराम जाति अहीर निवासी ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर, जिला जयपुर। **— वादीगण**

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र भगवाना जाति अहीर निवासी ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
3. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर।

3. क– कमला देवी पत्नी रामजीलाल जाति अहीर निवासी ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर **— प्रतिवादीगण**

4. देबूराम
5. मूलचन्द
6. बिरदूराम
7. हनुमान

पुत्रान सीताराम

8. धुडी पुत्री सीताराम

जाति अहीर निवासी ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर **— तरतीबी प्रतिवादीगण**

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 73/2015 **दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री गोपाल टांक एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री मदनलाल जाट एडवोकेट** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश हुए। **राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट विराटनगर में मजमा–ए–आम उपस्थित पक्षकारान को सुना गया।** प्रकरण के कानूनी बंटवारा से संबंधित होने पर प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 अनुरूप कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई है। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ढाणी गैसकान में पक्षकारान ने सहमति प्रकट की है। **अतः हुक्म दिया जाता है कि** वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व राजीनामा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर ग्राम ढाणी गैसकान की खातेदारी भूमि का पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	रामेश्वर पुत्र भगवाना जाति अहीर	702/0.01, 703/0.35, 706/1/0.17, 722/0.15 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 0.68 हैक्टेयर
2	कमला देवी पत्नी रामजीलाल यादव जाति अहीर	723/0.22 हैक्टेयर
3	सुरजाराम, रामचन्द्र, देबुराम, मुलचन्द, बिरदुराम, हनुमान पिता सीताराम, धूडी पुत्री सीताराम जाति अहीर	704/0.03, 705/0.26, 706/0.22, 721/0.24, 722/1/0.15 हैक्टेयर किता 5 कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें तथा यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी को बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।
निर्णय दिनांक 29.06.2018 को कैम्प कोर्ट विराटनगर में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य........ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य............. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 29.06.2018** को जारी की गई।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।